न्यायालय सहायक कलक्टर(SDO),मावली जिला उदयपुर (राज0)
पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाड़िया, RAS
पत्रावली संख्या : 09/17 (प्रा0पत्र)

अनवान्

1. श्री मानाराम पिता रोडा डांगी निवासी नान्दवेल तह. मावली।

.....प्रार्थी

बनाम

1. श्रीमती कमलाबाई पत्नी मानाराम डांगी निवासी नान्दवेल तह. मावली।
2. उप पंजीयक अधिकारी, मावली तह. मावली।
3. पटवारी, पटवार हल्का नान्दवेल तह. मावली।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सा. मावली तह. मावली।

.....विपक्षीगण

उपस्थित–1. श्री रोशनलाल डांगी, अधिवक्ता प्रार्थी।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–: : निर्णय : :–

दिनांक : 14.10.2020

1. प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि मौजा नान्दवेल पटवार हल्का नान्दवेल की परिशिष्ट अ में वर्णित आराजी नम्बर 584 रकबा 19 बिस्वा उक्त आराजी वर्तमान राजस्व रेकार्ड में विपक्षी सं. 1 के नाम पर अंकित हैं। परिशिष्ट ब में वर्णित आराजी नम्बर 586, 1895/587 किता 2 रकबा 9 बिस्वा उक्त आराजीयात में से आराजी नम्बर 586 में विपक्षी सं. 1 के नाम पर 1/14 हिस्सा एवं आराजी नम्बर 1895/587 सम्पूर्ण विपक्षी सं. 1 के नाम पर वर्तमान राजस्व रेकार्ड में अंकित हैं। परिशिष्ट स में वर्णित आराजी नम्बर 587 रकबा 7 बिस्वा उक्त आराजी में विपक्षी सं. 1 के नाम पर 3/7 हिस्सा वर्तमान राजस्व रेकार्ड में अंकित हैं।
2. यह कि मैं प्रार्थी एवं विपक्षी सं. 1 दोनों विवाहित पति–पत्नी हैं तथा उक्त वर्णित कृषि भूमियों में विपक्षी सं. 1 के नाम पर अंकित कृषि भूमियों को मुझ

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2020.10.21 10:26:38 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी ने क्रय किया और विक्रेता को विक्रय राशि भूगतान भी मुझ प्रार्थीयां द्वारा ही किया हैं परन्तु विपक्षी सं. 1 मेरी पत्नी होने के नाते से प्रेमवश मुझ प्रार्थी ने अपनी क्रयसुदा कृषि भूमि के विक्रय पत्र का पंजीयन अपने पक्ष में नहीं करवाकर सीधे ही विक्रेतागण से मेरी धर्मपत्नी विपक्षी सं. 1 के पक्ष में करवाया गया है और मुझ प्रार्थी ने इन सभी विक्रय पत्रों में बतौर साक्षी अपने हस्ताक्षर किये है। विक्रय पत्रों का पंजीयन कराने के उपरान्त मुझ प्रार्थी ने विक्रय पत्र के जरिये उक्त क्रयसुदा भूमियों को विपक्षी सं. 1 के नाम पर राजस्व रेकार्ड में अंकन करवाई गई हैं।

3. उक्त वर्णित कृषि भूमी में विपक्षी सं. 1 के नाम दर्ज कुलिया भूमियों पर मै प्रार्थी ही काबिज हो उपयोग उपभोग करता आ रहा हु तथा मुझ प्रार्थी ने इस जमीन पर एक मकान भी निर्माण करा रखा है जहां पर मैं प्रार्थी अपने परिवारजन सहित शांतिपूर्वक निवास करता आ रहा हुं लेकिन वर्तमान में मुझ प्रार्थी की पत्नी विपक्षी सं. 1 उसके पीहर वालों एवं भूमि दलालों की सिखावट एवं बहकावट में होकर मुझ प्रार्थी की क्रयसुदा उक्त वर्णित भूमि को अपने नाम पर राजस्व रेकार्ड में दर्ज होने का नाजायज फायदा उठाकर खुर्द बुर्द करने का प्रयास कर रही है जबकि विपक्षी सं. 1 को ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं हैं।

4. अतः प्रार्थना है कि मुझ प्रार्थी के पक्ष में एवं विपक्षीगण के विरूद्व इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे कि परिशिष्ट अ, ब, स में वर्णित आराजीयात में विपक्षी सं. 1 अपने नाम दर्ज को रहन बैह बक्षीस आदि द्वारा हस्तान्तरित नहीं करे, मुझ प्रार्थी को उक्त भूमि का शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे, इसमें किसी प्रकार की दखलन्दाजी न स्वयं करें, न अपने नौकर चाकर एजेन्ट इत्यादि से ही करावे, राजस्व रेकार्ड एवं मौके की यथावत् स्थिति बनाए रखे।

5. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी सं. 1 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे हैं। अतः अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व पूर्व में एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये हैं। विपक्षी सं. 2 से 4 राजपेरोकार द्वारा जवाब नहीं देना चाहा।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2020.10.21 10:26:38 IST
Reason: SelfAttested

6. हमने अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने का निवेदन किया।
7. विद्वान अधिवक्ता वादीं की बहस पर मनन किया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 अस्थाई निषेधाज्ञा के निर्णय के लिए तीनो बिन्दु पर विवेचन आवश्यक हैः–

1. *प्रथम दृष्टया मामला–* प्रार्थनाग्रस्त भूमि राजस्व रेकार्ड में विपक्षी सं. 1 के नाम हिस्सेनुसार दर्ज होकर खातेदार काश्तकार हैं। प्रार्थी प्रार्थनाग्रस्त भूमि का खातेदार काश्तकार नहीं हैं। प्रार्थी द्वारा घोषणा का वाद पेश किया उसी के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का यह प्रार्थना पत्र लगाया गया है। प्रार्थनाग्रस्त भूमि की विपक्षी सं. 1 खातेदार काश्तकार है। ऐसी स्थिति में खातेदार काश्तकार होने से प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं होता हैं। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी अपने पक्ष में साबित कराने में असफल रहा। अतः प्रथम दृष्टया मामला का बिन्दू प्रार्थी के विरूद्व निर्णित किया जाता हैं।
2. *अपूरणीय क्षति–* प्रार्थी भूमि का खातेदार काश्तकार नहीं हैं। भूमि विपक्षी सं. 1 के नाम होकर उक्त भूमि का उपयोग उपभोग कर रहे हैं, यदि विपक्षी सं. 1 के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो विपक्षी सं. 1 को अपूरणीय क्षति होगी। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के विरूद्ध साबित होने से अपूरणीय क्षति का बिन्दू भी प्रार्थी के विरूद्ध निर्णित किया जाता हैं।
3. *सुविधा का संतुलन–* प्रथम दृष्टया मामला, अपूरणीय क्षति के बिन्दु प्रार्थी के विरूद्ध में निर्णित किया जाने से उक्त बिन्दु भी प्रार्थी के विरूद्ध निर्णित किया जाता हैं।

8. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण में प्रार्थनाग्रस्त भूमि वर्तमान में विपक्षी सं. 1 के नाम हिस्सेनुसार दर्ज हैं। प्रार्थी द्वारा विपक्षी सं. 1 के विरूद्ध घोषणा का वाद प्रस्तुत किया उसी के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थी एवं विपक्षी सं. 1 दोनो आपस में पति–पत्नी हैं। प्रार्थी वर्तमान में उक्त प्रार्थनाग्रस्त भूमि के खातेदार नहीं हैं। प्रार्थीं द्वारा विपक्षी सं. 1 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराये जाने का निवेदन किया है, जबकि प्रार्थनाग्रस्त भूमि वर्तमान में विपक्षी सं. 1 के नाम दर्ज हैं। प्रार्थी का यह कथन की भूमि उसके स्वयं द्वारा क्रय की गई है एवं विक्रय का पंजीयन अपनी पत्नी

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2020.10.21 10:26:38 IST
Reason: SelfAttested

विपक्षी सं. 1 के नाम करवाया गया हैं। विपक्षी सं. 1 जमीन को खुर्द बुर्द करने पर उतारू होने से प्रार्थी अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराना चाहता हैं। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि भूमि का खातेदार विपक्षी सं. 1 हैं। प्रार्थनाग्रस्त भूमि का खातेदारी विपक्षी सं. 1 होने से यदि खातेदार काश्तकार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की जाती है तो उसके हक अधिकारों पर प्रतिकुल प्रभाव पडेगा, एवं उसे भारी असुविधा का सामना करना पडेगा।

9. अतः विपक्षी सं. 1 खातेदार काश्तकार होने से खातेदार काश्तकार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित नहीं है। जैसा की माननीय न्यायालय की नजीर ''RRT 2016-17 (supp) Page 637, Malkiyat Kaur & Anr. Vs. Malkiya Kaur & Ors. – Rajasthan Tenancy Act, 1955-Sec. 212 Temporary injuction Application rejected-Concurrent findings–Non-petitioner No.4 purchased the land from the non-petitioner No. 1 to 3 & he is recorded khatedar of the land-No T.I. can be granted against a recorded khatedar – No primafacie case made out-Neither balance of convenience non irreparable loss is infavour of the petitioners-Held, Revision dismissed.'' और ''RRT 2013 (2) RRT 1108, Kiran & Ors. Vs. Ajay Kumar & Anr. – Rajasthan Tenancy Act, 1955-Sec. 212 – Temporary injunction – Defendant are the co-khatedars & no T.I. can be grantes & cannot be restrained to sell their share – Held, Order of granting T.I. set aside." और ''RRT 2016 (1) RRT 113, Chawali & Ors. Vs. Balki Devi & Ors. – Rajasthan Tenancy Act, 1955-Sec. 212 – Plaintiff & defendants both files the application for granting Y.I. – One co-tenant cannot claim T.I. against the another co-tenant – Held, Orders passed by the Courts below are erroneous & set aside." |

10. माननीय न्यायालय की नजीरों से स्पष्ट है कि रेकार्डेड खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्रदान नहीं की जा सकती हैं। उक्त नजीरें इस प्रकरण पर हूबहू चस्पा होती है। शेष अन्य बिन्दु मूल वाद में साक्ष्य सबूत आदि के आधार पर तय किये जायेगे। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन का बिन्दु व अपूरणीय क्षति के बिन्दु भी प्रार्थी के विरूद्व निर्णित किये गये हैं। अतः ऐसी स्थिति में विपक्षी सं. 1 खातेदार के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित नहीं हैं। उपरौक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य नहीं पाया जाता हैं।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2020.10.21 10:26:38 IST
Reason: SelfAttested

—: आदेश :—

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हों।

निर्णय खुले ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाड़िया)
सहायक कलक्टर
(SDO)मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2020.10.21 10:26:38 IST
Reason: SelfAttested